भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 240

शुक्रवार, 13 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

राजस्थान में एक जिला एक उत्पाद योजना का कार्यान्वयन

***240. श्री नीरज डांगी:**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना के लिए राजस्थान के किन-किन जिलों का चयन किया गया है और प्रत्येक जिले के लिए कौन-कौन से उत्पाद चिह्नित किए गए हैं;

(ख) क्या इस योजना के अंतर्गत जयपुर की ब्लू पॉटरी, जोधपुर का फर्नीचर और भीलवाड़ा का वस्त्र उद्योग जैसे पारंपरिक उत्पाद शामिल किए गए हैं, यदि हां, तो उन्हें प्रोत्साहन देने हेतु क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं; और

(ग) राजस्थान में इस योजना के माध्यम से कितने कारीगरों, सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

'राजस्थान में एक जिला एक उत्पाद योजना का कार्यान्वयन' विषय के संबंध में दिनांक 13.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 240 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) की 'एक ज़िला एक उत्पाद' (ओडीओपी) पहल का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले से कम से कम एक उत्पाद का चयन, ब्रांडिंग और प्रचार-प्रसार करना है, ताकि सभी क्षेत्रों के समग्र विकास को संभव बनाया जा सके। ओडीओपी उत्पादों का चयन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा किया जाता है। राजस्थान सरकार ने 41 जिलों के 41 अनूठे पारंपरिक या विशिष्ट उत्पादों की पहचान की है। चिह्नित उत्पादों का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख): राजस्थान सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जोधपुर के फर्नीचर और भीलवाड़ा के वस्त्र उद्योग को ओडीओपी पहल के अंतर्गत शामिल किया गया है। ब्लू पॉटरी ओडीओपी उत्पाद नहीं है।

राजस्थान के चिह्नित उत्पादों सहित ओडीओपी पहल के तहत चिह्नित उत्पादों के प्रचार-प्रसार और उनकी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना, विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से नियमित क्षमता निर्माण पहलें; गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम)-ओडीओपी बाजार के लिए ई-कॉमर्स ऑन-बोर्डिंग अभियान शामिल हैं, जिसके अंतर्गत भारत के सर्वश्रेष्ठ ओडीओपी उत्पादों को प्रदर्शित और स्टॉक किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओडीओपी को बढ़ावा देने के लिए विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों से संपर्क, वर्चुअल क्रेता-विक्रेता बैठकें और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी की गई है। इसके अलावा, इन उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए भारत में बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों के दौरान उपहार स्वरूप भेंट करने के लिए विभिन्न ओडीओपी उत्पादों का उपयोग किया गया है।

इसके अलावा, राज्य सरकार ने सूचित किया है कि ओडीओपी के अंतर्गत उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान ओडीओपी नीति के तहत कई वित्तीय प्रोत्साहन शुरू किए गए हैं। प्रमुख प्रोत्साहन निम्नानुसार हैं:

i. एक जिला एक उत्पाद से संबंधित नए सूक्ष्म उद्यमों को पात्र परियोजना लागत पर 25 प्रतिशत (अधिकतम 15 लाख रुपए) तक और लघु उद्यमों को 15 प्रतिशत (अधिकतम 20 लाख रुपए) तक मार्जिन राशि अनुदान सहायता।

ii. उत्पादों के विपणन से संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने के लिए स्टॉल के किराए संबंधी अनुदान और परिवहन के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए तक की सहायता।

iii. एकीकृत क्लस्टर विकास स्कीम के तहत साझा सुविधा केंद्र की स्थापना के लिए सहायता।

iv. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रमाणन और बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) प्राप्त करने के व्यय पर 75 प्रतिशत (अधिकतम 3 लाख रुपए) तक की प्रतिपूर्ति सहायता।

v. ओडीओपी एमएसएमई उद्यमों में ई-कॉमर्स के उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु 2 वर्ष के लिए प्लेटफ़ॉर्म शुल्क के 75 प्रतिशत तक (अधिकतम 1,00,000 रुपए प्रति वर्ष) की प्रतिपूर्ति।

vi. भारत सरकार/राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित अग्रणी राष्ट्रीय संस्थानों से उन्नत प्रौद्योगिकी/सॉफ्टवेयर प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय पर, ओडीओपी सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 50 प्रतिशत तक (अधिकतम 5 लाख रुपए) की सहायता।

vii. कैटेलॉगिंग सेवाओं और/या लेनदेन कार्य हेतु पूर्णतः कार्यात्मक ई-कॉमर्स वेबसाइट के विकास संबंधी कुल व्यय पर 60 प्रतिशत तक (अधिकतम 75,000 रुपए) की एकबारगी सहायता।

(ग): ओडीओपी पहल के तहत सृजित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार से संबंधित आंकड़े केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 13.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 240 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) के तहत राजस्थान के उत्पादों की सूची

क्रम सं.	जिला	उत्पाद	क्षेत्र
1	अजमेर	ग्रेनाइट और संगमरमर उत्पाद	विनिर्माण
2	अलवर	ऑटोमोबाइल पार्ट्स	विनिर्माण
3	बालोतरा	वस्त्र उत्पाद	वस्त्र
4	बांसवाड़ा	संगमरमर उत्पाद	विनिर्माण
5	बारां	लहसुन उत्पाद	कृषि
6	बाड़मेर	कशीदाकारी	हथकरघा
7	ब्यावर	क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार पाउडर	विनिर्माण
8	भरतपुर	कृषि आधारित उत्पाद	खाद्य प्रसंस्करण
9	भीलवाड़ा	वस्त्र उत्पाद	वस्त्र
10	बीकानेर	बीकानेरी नमकीन	खाद्य प्रसंस्करण
11	बूंदी	चावल	कृषि
12	चित्तौड़गढ़	ग्रेनाइट और संगमरमर उत्पाद	विनिर्माण
13	चूरू	काष्ठ उत्पाद	हस्तशिल्प
14	दौसा	पत्थर के उत्पाद	विनिर्माण
15	डीडवाना-कुचामन	संगमरमर और ग्रेनाइट उत्पाद	विनिर्माण
16	डीग	पत्थर आधारित उत्पाद	विनिर्माण
17	धौलपुर	पत्थर आधारित उत्पाद	विनिर्माण
18	डूंगरपुर	ग्रेनाइट उत्पाद	विनिर्माण
19	हनुमानगढ़	कृषि आधारित उत्पाद	कृषि
20	जयपुर	रत्न और आभूषण	विनिर्माण
21	जैसलमेर	यलो स्टोन उत्पाद	विनिर्माण
22	जालौर	ग्रेनाइट उत्पाद	विनिर्माण
23	झालावाड़	कोटा स्टोन उत्पाद	विनिर्माण
24	झुंझुनू	लकड़ी के हस्तशिल्प उत्पाद	हस्तशिल्प
25	जोधपुर	लकड़ी के फर्नीचर उत्पाद	हस्तशिल्प
26	करौली	बलुआ पत्थर उत्पाद	विनिर्माण
27	खैरथल-तिजारा	ऑटोमोबाइल पार्ट्स	विनिर्माण
28	कोटा	कोटा डोरिया	हथकरघा
29	कोटपुतली-बहरोड़	ऑटोमोबाइल पार्ट्स	विनिर्माण
30	नागौर	पान मेथी और मसाला प्रसंस्करण	खाद्य प्रसंस्करण
31	पाली	वस्त्र उत्पाद	वस्त्र

32	फलौदी	सोनामुखी उत्पाद	खाद्य प्रसंस्करण
33	प्रतापगढ़	थेवा आभूषण	हस्तशिल्प
34	राजसमंद	ग्रेनाइट और संगमरमर उत्पाद	विनिर्माण
35	सलूम्बर	क्वार्ट्ज	विनिर्माण
36	सवाई माधोपुर	संगमरमर उत्पाद	विनिर्माण
37	सीकर	लकड़ी के फर्नीचर उत्पाद	हस्तशिल्प
38	सिरोही	संगमरमर उत्पाद	हस्तशिल्प
39	श्रीगंगानगर	सरसों का तेल	खाद्य प्रसंस्करण
40	टोंक	स्लेट स्टोन उत्पाद	विनिर्माण
41	उदयपुर	संगमरमर और ग्रेनाइट उत्पाद	विनिर्माण

*****